भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **4629** जिसका उत्तर

शुक्रवार, 20 मार्च, 2026/29 फाल्गुन, 1948 (शक) को दिया जाना है

जलमार्ग विकास परियोजना

4629. श्री लुम्बाराम चौधरी :
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया :
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा :
श्री प्रवीण पटेल :
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी :
श्रीमती पूनमबेन माडम :
श्री दिलीप शइकीया :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी :
श्री नव चरण माझी :
श्री खगेन मुर्म :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के अंतर्गत अब तक विकसित किए गए मल्टीमॉडल और इंटर-मॉडल टर्मिनलों सहित निर्मित अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;

(ख) फेयरवे क्षमता में वृद्धि के लिए कार्यान्वित की गई ड्रेजिंग प्रबंधन योजना (डीएमपी) का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना के अंतर्गत ठेके पर दिए गए फेयरवे विकास और अनुरक्षण कार्यों की अनुभाग-वार स्थिति क्या है;

(घ) क्या भारतीय अंतः जलमार्ग प्राधिकरण गुजरात के कांडला पत्तन से जालौर तक 262 किलोमीटर लंबे जलमार्ग का निर्माण करने और इसे राष्ट्रीय जलमार्ग-48 के रूप में विकसित करने की परियोजना पर कार्य कर रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा

क्या है और इस पर कितना व्यय किया गया है और इसे पूरा करने की समय-सीमा क्या है;

(ङ) राजस्थान में चम्बल नदी में जलमार्ग के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(च) वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर कार्गो की आवाजाही कितनी रही है और इस संबंध में वर्ष-वार कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है; और

(छ) क्या जेएमवीपी के अंतर्गत पोत क्षमता, कार्गो हैंडलिंग क्षमता, कार्गो थ्रूपुट और निजी क्षेत्र की भागीदारी को और अधिक संवर्धित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसे मार्गों का पता लगाने के लिए सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (रा.ज.-1) पर विकसित अवसंरचना का विवरण निम्नानुसार है:

1. वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में मल्टी मॉडल टर्मिनल (एमएमटी)
2. कालूघाट में इंटरमॉडल टर्मिनल (77000 टीईयू)
3. नया नौचालन लॉक, फरक्का
4. सामुदायिक जेट्टियां; उत्तर प्रदेश में 15, बिहार में 21, झारखंड में 2 और पश्चिम बंगाल में 22
5. उत्तर प्रदेश में 8 सामुदायिक जेट्टी स्थानों पर अपतटीय सुविधाएं
6. क्विक पोंटून ओपनिंग मैकेनिज्म (क्यूपीओएम): उत्तर प्रदेश और बिहार, प्रत्येक में एक-एक

(ख) और (ग): ड्रेजिंग प्रबंधन योजना (डीएमपी) के अनुसार, रा.ज.-1 पर निम्नलिखित न्यूनतम सुनिश्चित गहराई (एलएडी) और तल चैनल की चौड़ाई बरकरार रखी जानी है:

(i) हल्दिया से बार्ह: गहराई : 3.0 मीटर; तल की चौड़ाई: 45 मीटर

(ii) बार्ह से गाजीपुर: गहराई: 2.5 मीटर; तल की चौड़ाई: 45 मीटर

(iii) गाजीपुर से वाराणसी: गहराई: 2.2 मीटर; तल की चौड़ाई: 45 मीटर

जेएमवीपी के तहत सौंपे गए फेयरवे विकास और रख-रखाव कार्यों की जलखंड- वार स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**जलखंड**	**ड्रेजिंग अनुबंध का प्रकार**	**कार्य सौंपने की तारीख**
1	वाराणसी- गाजीपुर (130 कि.मी)	मात्रा आधारित	21.01.2025
2	मझुआ - गाजीपुर (115 कि.मी.)	मात्रा आधारित	28.06.2024
3	दीघा - मझुआ (95 किमी)	मात्रा आधारित	31.01.2024
4	बार्ह- दीघा (74 कि.मी.)	मात्रा आधारित	09.05.2024
5	सुल्तानगंज- महेंद्रपुर- बार्ह	कार्य निष्पादन (एलएडी) आधारित	25.10.2024
6	फरक्का- कहलगांव (146 कि.मी.)	कार्य निष्पादन (एलएडी) आधारित	08.03.2024
7	फरक्का - कटवा (199 किमी)	कार्य निष्पादन (एलएडी) आधारित	08.03.2024
8	कटवा - त्रिवेणी (152 किमी)	कार्य निष्पादन (एलएडी) आधारित	15.03.2024
9	हल्दिया एक्सेस चैनल (निक्षेप आधार)	मात्रा आधारित	05.08.2024
10	कालूघाट एक्सेस चैनल	मात्रा आधारित	विभागीय स्तर पर रख-रखाव किया जा रहा है।

(घ): भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), जो कि पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, कोरी क्रीक से जालौर तक के खंड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर रहा है। उक्त खंड में किसी भी विकास गतिविधि डीपीआर के निष्कर्षों और उसकी व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी।

(ङ): चंबल नदी का राष्ट्रीय जलमार्ग-24 (रा.ज.-24) के रूप में घोषित भाग राजस्थान में नहीं आता है, तथा इसलिए चंबल नदी पर राजस्थान में कोई विकास गतिविधि न तो शुरू की गई और न ही/नियोजित की गई।

(च): वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय जलमार्ग- 1 पर कार्गो आवाजाही का विवरण नीचे दिया गया है:

राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज)	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कार्गो आवाजाही [मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) में]	5.05	6.48	4.89	5.48	6.79	9.11	9.21	10.93	13.17	12.82	16.38
वर्ष 2014-15 से 2024-25 के दौरान चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर	**12.49%**										

(छ): जीएमवीपी के तहत जलयान क्षमता, कार्गो थ्रूपुट और निजी क्षेत्र भागीदारी बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में शमिल है:

(i) कम डुबाव वाले उच्च वहन क्षमता वाले जलयान (टग- बार्ज संयोजन) खरीदे गए हैं।

(ii) एमएमटी, आईएमटी, जेट्टी आदि जैसी अवसंरचना का विकास किया गया है।

(iii) आधुनिक नौचालन अवसंरचना प्रदान की गई है, जिसमें नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस), डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस), नौचालन सहायता अर्थात् चैनल मार्किंग और रात्रि नौचालन सहायता शामिल है।

(iv) कार्गो स्वामियों द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (आईडब्ल्यूटी) क्षेत्र की उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने और भारत- बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग के माध्यम से रा.ज.-1 और रा.ज.-2 पर कार्गो आवाजाही हेतु निर्धारित सेवाएं स्थापित करने हेतु जलवाहक योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(v) रा.ज.-1 पर एमएमटी हल्दिया, आईएमटी कालूघाट और जी.आर.जेट्टी, सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर निजी इकाईयों द्वारा संचालित की जा रही हैं।

(vi) 1,500-2,000 डीडब्ल्यूटी जलयानों के नौचालन को सक्षम बनाने हेतु लगभग 2.2-3.0 मी. की एलएडी और पर्याप्त चैनल की चौड़ाई प्रदान करने के लिए फेयरवे के रख-रखाव का कार्य प्रगति पर है।
